14. वर्ष 2003-04 में नवीन व्यय –

कमांक	मद	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग
1.	**राजस्व**	**272.97**	**14.83**	**287.80**
2.	**पूंजी**	**350.54**	**3.71**	**354.25**
	योग	**623.51**	**18.54**	**642.05**

15. राज्य शासन की ऋण स्थिति –

मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के तहत अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के लोक ऋण का प्रभाजन उत्तरवर्ती राज्यों में भारत शासन द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अनुशंसा पर किया जाना है। अभी तक भारत सरकार व्दारा जिन ऋणों का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है उसके अनुसार दिनांक 31 मार्च 2003 की स्थिति में अदेय ऋणों की स्थिति निम्नानुसार है । शेष ऋणों का प्रभाजन होना शेष है ।

कमांक	विवरण	राशि
(क)	आयोजना भिन्न ऋण	
1.	अल्प बचत ऋण	839.82
2.	पुलिस बल आधुनिकीकरण हेतु ऋण	35.07
(ब)	आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋण	
1.	एकमुश्त ऋण (ब्लाक ऋण)	2413.66
2.	दैवीय विपत्तियों के संबंध में ऋण	0.39
3.	नौवें वित्त आयोग के समेकित ऋण	35.38
4.	सातवें वित्त आयोग के समेकित ऋण	30.45
5.	आठवें वित्त आयोग के समेकित ऋण	65.18
(स)	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	
1.	बाजार ऋण	1866.25
2.	अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	1380.09
3.	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	256.98
4.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	46.48
	योग	**6969.75**